



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेंट गाजियाबाद दिनांक 26.10.2026

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस व स्वाट टीम नगर जोन द्वारा मुठभेड़ के दौरान 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 33 किलोग्राम अवैध गांजा, 02 तमंचा, 03 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व एक स्कूटी बरामद ।

थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में गोल चक्कर 16 मंजिला के तिराहे पर थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम व स्वाट टीम नगर जोन के द्वारा सदिंघ वाहनों और व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही थी , चेकिंग के दौरान दुहाई रेलवे फाटक की ओर से बिना नम्बर प्लेट की काले रंग की स्कूटी पर सवार 03 सदिंघ व्यक्ति आते हुये दिखाई दिए पुलिस टीम के द्वारा जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो पुलिस टीम को देखकर तीनों सदिंघ स्कूटी मोडकर भागने लगे । पुलिस टीम द्वारा पीछा किये जाने पर खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधे फायरिंग कर दी । पुलिस टीम ने स्वयं को बचाते हुये आत्मरक्षार्थ में जबाबी कार्यवाही की जिसमें एक अभियुक्त राहुल उर्फ राजेश उर्फ विनोद उर्फ मूशा उर्फ राजू पुत्र अशोक कुमार निवासी सेक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद के पैर में गोली गयी और घायल होकर वहीं पर गिर गया जिसे पुलिस टीम ने आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर दबोच लिया तथा 02 अन्य अभियुक्तगण अभय उर्फ गौरव पुत्र अरविन्द कुमार निवासी सैक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद व तुषार सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी सैक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को भी भागते हुये पुलिस टीम के द्वारा मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है । पुलिस मुठभेड़ के दौरान ही अभियुक्त गणों के कब्जे से मौके पर एक अदद स्कूटी रंग काला बिना नम्बर प्लेट व 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 अदद खोखा कारतूस मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 33 किग्रा 0 अवैध गांजा (कीमत करीब 15 लाख रुपये) मौके पर बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त राहुल उर्फ राजेश उर्फ विनोद उर्फ मूशा उर्फ राजू उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्त –

1. राहुल उर्फ राजेश उर्फ मूसा उर्फ विनोद पुत्र अशोक कुमार, निवासी सेक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद । (घायल)
2. अभय उर्फ गौरव पुत्र अरविन्द कुमार निवासी सैक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद।
- 3 .तुषार सिंह पुत्र अमर सिंह सैक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास-

राहुल उर्फ राजेश उर्फ मूसा उर्फ विनोद पुत्र अशोक कुमार के विरुद्ध कुल 03 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं तथा अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. अवैध गांजा 33 किलोग्राम
2. 02 तमंचा .315बोर
3. 03 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस
4. एक स्कूटी बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मधुबन बापूधाम व स्वाट टीम नगर जोन।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 25000 रु0 का इनामिया अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, चोरी की 01 स्कूटी व 01 मोबाइल आईफोन फोन बरामद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.10.26 को रात्रि में चौकी डीएलएफ प्रभारी द्वारा पुलिस टीम के साथ भगत सिंह चौक में गश्त व चेकिंग की कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी सवार रैन बसेरा विक्रम इन्क्लेव की तरफ से डीएलएफ क्षेत्र में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही अपनी स्कूटी वापस मुड़कर भागने लगा तथा भागते हुए कब्रिस्तान के मोड़ पर स्कूटी गिर गई और उतर कर कब्रिस्तान की अंदर वाली गली में भागने लगा भागते समय पुलिस टीम को अपने पास आता देखकर उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्म रक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई तो बदमाश के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया है। पुलिस पार्टी द्वारा बदमाश को कब्रिस्तान के अन्दर पकड़ लिया गया। पकड़े गये घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार देते हुए नाम पता पूछा गया तो घायल बदमाश ने अपना नाम अमजद पुत्र चांद मौहम्मद पता 20 फुटा रोड प्रेम नगर आयशा मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष बताया अमजद उपरोक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर एक कारतूस जिंदा एक खोखा 315 बोर व एक स्कूटी DL 11PJ 8708, एक मोबाइल फोन आईफोन चोरी का बरामद हुआ उक्त बरामद स्कूटी को जिपनेट नेट पर चेक किया गया तो स्कूटी थाना वजीराबाद दिल्ली से चोरी होना पाया गया अमजद पर 16 मुकदमे गाजियाबाद के थानों में पंजीकृत हैं अमजद पर वर्तमान में 25000 रु0 का इनाम घोषित है मौके पर ही उच्चाधिकारी गणों को सूचना दी गई आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अमजद पुत्र चांद मौहम्मद पता 20 फुटा रोड प्रेम नगर आयशा मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त अमजद उपरोक्त पर 16 मुकदमे गाजियाबाद के विभिन्न थानों में पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा .315बोर, 01 कारतूस जिंदा, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 स्कूटी DL 11PJ 8708 व 01मोबाइल फोन आईफोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सट्टे की खायी-बाड़ी करने वाले अभियुक्त को सट्टा पर्ची व 720 रुपये सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 25.10.26 को उच्चधिकारीगण के आदेशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चेकिंग के दौरान सट्टे की खायी-बाड़ी करने वाला अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र स्व० कृपाल सिंह निवासी गली नं० 08 भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को महाराणा विहार थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 720 रुपये नकद, सट्टा पर्ची आदि सट्टा लगाने का सामान बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि० मे अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं पुलिस से चोरी छिपे सट्टे की खायी बाड़ी का काम करता हूँ लोग मेरे पास लालच मे पड़ कर सट्टा लगाने के लिए आते है, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है तथा मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वीरेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र स्व० कृपाल सिंह निवासी गली नं० 08 भीमनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

720 रुपये नकद, सट्टा पर्ची

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सट्टे से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 25.10.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त सुहैल उर्फ शोहेल उर्फ बाबा पुत्र लियाकत निवासी इकरामनगर मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी 01 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। उक्त बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में थाना जाफराबाद, पूर्वोत्तर दिल्ली पर चोरी के संबंध में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/317(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने करीब 6-7 दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी मैं दिल्ली से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम दामों में बेच देता हूँ और पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ। मैं पहले भी कई बार मोटरसाइकिल चोरी में जेल जा चुका हूँ। इस मोटरसाइकिल को चोरी कर मैंने घनी झाड़ियों में छिपा दिया था। आज मैं इसे बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुहैल उर्फ शोहेल उर्फ बाबा पुत्र लियाकत निवासी इकरामनगर मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। पूर्व में चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बोर्डर पर 04 अभियोग, थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग तथा वाहन चोरी के संबंध में थाना जाफराबाद दिल्ली पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशीला पाउडर बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 125 ग्राम अवैध नशीला एल्प्रजोलम पाउडर बरामद ।

दिनांक 25.10.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशीला पाउडर सहित अभियुक्त गगन पुत्र सुनील निवासी दयापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 125 ग्राम अवैध नशीला एल्प्रजोलम पाउडर मय

डिब्बी बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 8/22C एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशीला अल्ट्राजोलम गोलियों का पाउडर बनाकर छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को बेच देता हूँ आज भी मैं अल्ट्राजोलम गोलियों का पाउडर बनाकर बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

गगन पुत्र सुनील निवासी दयापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 125 ग्राम अवैध नशीला एल्ट्राजोलम पाउडर मय डिब्बी व 07 ग्राम छोटी पादर्शी पोलिथीन व चार बड़े रेपर व 06 छोटे रेपर खाली बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एनडीपीएस एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों पर 15,000-15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया।

श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना मसूरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-319/2026 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त सोनू यादव पुत्र रणपाल निवासी शिव मन्दिर के पास प्रधानपुरम थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद, मु0अ0सं0-236/2026 धारा-8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त गण 1. फुरकान पुत्र फकीरा निवासी मौहल्ला कुरैशी वाली मस्जिद सोहराब गेट थाना कोतवाली मेरठ व किला वाली मस्जिद मौ० किला, वार्ड न० 5 कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद 2. आसिफ पुत्र कय्यूम निवासी 220ए ट्रांजिस्ट कालकाजी साउथ जिला उत्तर पश्चिम दिल्ली की गिरफ्तारी पर

₹15,000 -₹15,000 (पंद्रह - पंद्रह हजार रुपये) का इनाम घोषित किया गया।

कमिश्नरीट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विकशन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 26.10.2026 को थाना विजयनगर, कमिश्नरीट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा-376 एबी भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र चिरंजीलाल निवासी गली नं0-04 सैन विहार, थाना विजयनगर गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0- 02 गाजियाबाद द्वारा धारा- 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना विजयनगर गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। 'कन्विकशन सेल' से सतत् समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री सतीश शर्मा द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को मा0 न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर अपने घर में ले जाकर उसके साथ धिनौना कृत्य कारित करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना विजयनगर पर दिनांक 09.06.2022 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।

		
श्री सतीश शर्मा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो)	मु0आ0 सतकुमार पैरोकार कन्विकशन सेल	मु0आ0 सतेन्द्र कुमार पैरोकार थाना विजयनगर

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दोस्ताना सुपर मार्का अवैध देशी शराब के 24 पाउच सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 26.10.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना पर दोस्ताना सुपर मार्का अवैध देशी शराब के 24 पाउच सहित 01 अभियुक्त राजेश

पुत्र शंकर हाल पता दर्शन मेडिकल के पास रविन्द्रपाल के मकान में किराये पर भोवापुर कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद स्थायी पता- जयनगर छतौनी जिला मधुवनी बिहार उम्र करीब 25 वर्ष को आनन्द विहार दिल्ली बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राजेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर धारा 60 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त राजेश उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मुझसे बरामद दोस्ताना सुपर मार्का अवैध देशी शराब के पाउच को आनन्द विहार दिल्ली बॉर्डर से खरीद कर लाता हूँ, जिसको मैं राह चलते व्यक्ति व रिक्शा चालक जो शराब के आदी होते हैं उनको महंगे दामों में बेच देता हूँ इस प्रकार मैं अधिक मुनाफा कमाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजेश पुत्र शंकर हाल पता दर्शन मेडिकल के पास रविन्द्रपाल के मकान में किराये पर भोवापुर कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद स्थायी पता- जयनगर छतौनी जिला मधुवनी बिहार उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

दोस्ताना सुपर मार्का अवैध देशी शराब के 24 पाउच बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर उक्त प्रकरण से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी व मोबाइल टावर से चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल टावर से चोरी के 02 आर.आर.यू व 01 चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 25.10.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण (1) शिवम कुमार पुत्र सत्य प्रकाश निवासी म0नं0 638 गली नं0 7 भीम नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष (2) कृष ठाकुर पुत्र अनिल कुमार निवासी शान्ति नगर निधिवन सोसाइटी के गेट के पास निकट परचून की दुकान बाईपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को ताज हाईवे बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मोबाइल टावर से चोरी के 02 आर आर यू (ट्रांसमिशन में प्रयोग के लिए) व थाना बिसरख क्षेत्र से चोरी की गयी मोटर साइकिल स्पलेन्डर रंग काला बरामद हुई। उक्त चोरी के माल व चोरी की मोटर साइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 317(2),317(5),3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हमसे जो मोबाइल टावर के आर आर यू (ट्रांसमिशन में प्रयोग के लिए) बरामद हुए हैं यह सामान हमने थाना विजयनगर क्षेत्र से कुछ दिनों पहले एक मोबाइल टावर से चोरी किया था तथा जो मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस हमसे बरामद हुई है यह मोटर साइकिल हमने तिगरी गोल चक्कर के पास थाना बिसरख क्षेत्र से करीब 4 -5 महीने पहले चोरी की थी। यह सामान व मोटर साइकिल को हम बचने की फिराक में थे कि उससे पहले ही हमें पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- (1) शिवम कुमार पुत्र सत्य प्रकाश निवासी म0नं0 638 गली नं0 7 भीम नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।
(2) कृष ठाकुर पुत्र अनिल कुमार निवासी शान्ति नगर निधिवन सोसाइटी के गेट के पास निकट परचून की दुकान बाईपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

मोबाइल टावर से चोरी के 02 आर आर यू (ट्रांसमिशन में प्रयोग के लिए) व थाना बिसरख क्षेत्र से चोरी की गयी मोटर साइकिल स्पलेन्डर रंग काला

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना बिसरख गौतमुद्धनगर पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सट्टे की खायी-बाडी करने वाले अभियुक्त को सट्टा पर्ची व 580 रुपये नगद आदि सहित गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 26.10.26 को उच्चधिकारीगण के आदेशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस कमिश्नरट गाजियाबाद द्वारा चेकिंग के दौरान सट्टे की खायी-बाडी करने वाला अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र लीला सिंह निवासी न्यू शान्ति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 58 वर्ष को मदरसे के पास खाली प्लाट थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 580 रुपये नगद, सट्टा पर्ची व 01 डायरी आदि सट्टा लगाने का सामान बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं पुलिस से चोरी छिपे सट्टे की खायी बाडी का काम करता हूं लोग मेरे पास लालच में पड़ कर सट्टा लगाने के लिए आते हैं, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है तथा मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ओमप्रकाश पुत्र लीला सिंह निवासी न्यू शान्ति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 58 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

580 रुपये नगद, सट्टा पर्ची व 01 डायरी आदि

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर जुआ अधि0 से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत किया गया है। थाना विजयनगर गाजियाबाद पर जुआ अधि0 से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना क्रॉसिंग

रिपब्लिक गाजियाबाद पर जुआ अधि० से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 04 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन व दो पहिया वाहन चोरी/छिनैती की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व चोरी/छिनैती के 09 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के) बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 26.10.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन/मोबाइल फोन चोरी व छिनैती की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त 1. सानू उर्फ लाल बाबू पुत्र छोटे निवासी ग्राम कूप थाना मिलक जनपद रामपुर उम्र करीब 25 वर्ष, 2. सूफियान पुत्र अनवर निवासी स्थायी पता ग्राम मालागढ़ थाना अगोता जनपद बुलन्दशहर हाल पता- हरोला गली नं० 3 सै० 5 फायर बिग्रेड के सामने थाना फेस-1 जनपद नोएडा उम्र 25 वर्ष, 3. मौ० कलाम पुत्र निजाम निवासी इकबाल कॉलोनी जामा मस्जिद के पास गरिमा गार्डन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को ताहिरपुर कट डीएलएफ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व चोरी/छिनैती के 09 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी) के बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 317(2), 317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से बारी-बारी से पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी ने मिलकर उक्त स्कूटी को दिल्ली से चोरी किया था। चोरी की स्कूटी से मोबाइल फोन चोरी/छिनैती की घटना अलग अलग स्थानों पर कारित करते थे। चोरी व छिना /छपटी करके जो सामान व मोबाइल मिलते थे, उनको राह चलते लोगों को सस्ते दामों में बेच देते थे। बेचकर जो रुपये मिलते हैं, आपस में बाँट लेते थे। आज हम सभी मिलकर चोरी की स्कूटी व चोरी/छिनैती के मोबाइल फोन को बेचने की फिराक में ताहिरपुर कट डीएलएफ के आस-पास घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सानू उर्फ लाल बाबू पुत्र छोटे निवासी ग्राम कूप थाना मिलक जनपद रामपुर उम्र करीब 25 वर्ष।
2. सूफियान पुत्र अनवर निवासी स्थायी पता ग्राम मालागढ़ थाना अगोता जनपद बुलन्दशहर हाल पता- हरोला गली नं० 3 सेक्टर 5 फायर बिग्रेड के सामने थाना फेस-1 जनपद नोएडा उम्र करीब 25 वर्ष।
3. मौ० कलाम पुत्र निजाम निवासी इकबाल कालोनी जामा मस्जिद के पास गरिमा गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 स्कूटी व चोरी/छिनैती के 09 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी की स्कूटी व 09 मोबाइल फोन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग व थाना ज्योति नगर दिल्ली पर चोरी की स्कूटी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02

अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 3 किलो 60 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 26.10.2026 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मेनुअल ईनपुट के आधार पर 02 अभियुक्तगण 1. इरशाद पुत्र यासीन निवासी ईदगाह कॉलोनी डासना थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद 2. मुमतियाज उर्फ बोडो पुत्र प्यारमोहम्मद निवासी ईदगाह कॉलोनी डासना थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद को 03 किलो 60 ग्राम अवैध गांजा के साथ मकदूम शाह की ओर जाने वाले रास्ते के पास डासना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम बाजीगरान मोहल्ला डासना के रहने वाले हैं और हम दोनो आपस में जीजा साले हैं और यह गांजा हमने दिल्ली से झुग्गी झोपड़ियों के आस पास रहने वाले लोगों से खरीदकर लेकर आते हैं उन लोगों से हम केवल गांजा खरीदते हैं उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है हम गरीब लोग हैं हम अपना तथा अपने बच्चों का पेट पालने के लिये थोड़ा थोड़ा करके गाँजे की बिक्री करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- इरशाद पुत्र यासीन नि0 ईदगाह कॉलोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष
- मुमतियाज उर्फ बोडो पुत्र प्यारमोहम्मद नि0 ईदगाह कॉलोनी डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उक्त प्रकरण सहित अवैध गांजा बरामद होने के 02 अभियोग व बलवा, हमला करना व कार्य सरकार में बाधा का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त मुमतियाज उर्फ बोडो उपरोक्त के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग व बलवा, हमला करना व कार्य सरकार में बाधा का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

- 03 किलो 60 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना वेवसिटी पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में बांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.07.2026 को थाना मुरादनगर पर प्राप्त वादी की तहरीर कि अभियुक्तगण 1. मुकेश कुमार पुत्र त्रिलोकचन्द 2. अजय रानी पत्नी मुकेश कुमार 3. उमंग 4. मयंक समस्त निवासीगण ग्राम सुलतान नगर छज्जपुर थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद द्वारा वादी से जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर धोखाधड़ी व फर्जी कागजात तैयार कर ठगी करना व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा

318(2),352,351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना/ साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग से धारा 318(2) बीएनएस का लोप किया गया व धारा 318(4)/ 336(3)/ 338/ 340(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मुकेश कुमार उर्फ मुकेश चन्द पुत्र त्रिलोक चन्द निवासी ग्राम सुलतान नगर छज्जूपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 53 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपनी सारी जमीन का अपनी पत्नी के नाम बैनामा कर दिया था, जिसमें से कुछ जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ था। मैंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करके वादी को बैनामा करा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुकेश कुमार उर्फ मुकेश चन्द पुत्र त्रिलोक चन्द निवासी निवासी ग्राम सुलतान नगर छज्जूपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 53 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। 01 अभियोग छेड़छाड़ व 01 अभियोग मारपीट का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 38 पच्चे अवैध शराब बरामद।

आज दिनांक 26.10.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध शराब के साथ अभियुक्ता शारदा पत्नी देवीराम निवासी अंसार विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 56 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 38 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर आबकारी अधिनियम की धारा-60 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध देशी शराब गाजियाबाद की अलग-अलग शराब की दुकान से खरीद कर लाती हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये राह चलते लोगों को अधिक पैसों में बेच देती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शारदा पत्नी देवीराम निवासी अंसार विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 56 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कब्जे से 38 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।